IJIRSET

International Journal of Innovative Research in

SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2320-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 9, Issue 12, December 2020

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.512

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

जनजातीय समाज और उनमे सुधार

डॉ पूनम

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस. एस. कॉलेज, शाहजहांपुर

सार

जनजाति (tribe) वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किये गए हैं।

भारत में जनजातियों की जनसंख्या -: 1991 की जनगणना के अनुसार 6,77,58,380 भारत में जनजातियों की जनसंख्या है। भारत में कबीली जनसंख्या के विषय में स्पष्ट और सुलझे विचारों का अभाव रहा है। 'कबीला' शब्द की परिभाषा के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। फलस्वरूप जनगणना रिपोर्टों में भी जहाँ कुछ कबीलों को जातियों की सूची में रखा गया है, बहुत सी नीची जातियों को भी कबीलों में सम्मिलित कर लिया गया है। इस संबंध में एक जनगणना से दूसरी जनगणना में भी विषमता पाई जाती है। एक जनगणना के अनुसार समस्त भारतीय कबीलों का धर्म 'आत्मावाद' की श्रेणी में आता है किंतु उसकी अगली जनगणना में ही कबीली धर्म की सर्वथा पृथक श्रेणी बना दी गई है। वास्तव में मूल प्रश्न यह है कि 'कबीला' कहते किसे हैं? इस शब्द की अब तक दी गई परिभाषओं से अधिक न्यायसंगत संभवत: नूतन किंतु गुणात्मक परिभाषा है। इस नवीन परिभाषा के अनुसार कबीला निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर वास करनेवाला ऐसा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसमें कार्यों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता। समान भाषा या बोली द्वारा संगठित और कबील अधिकारियों द्वारा प्रशासित यह समूह अन्य कबीलों और जातियों से सामाजिक दूरी मानता है किंतु जातिव्यवस्था की भाँति सामाजिक द्वेष जैसी भावना से अछूता है। कबीले को अपनी परंपराएँ, विश्वास एवं रीतियाँ होती हैं और प्रजातीय तथा भागौलिक संग्रथन से उद्भूत सजातीयता की भावना कबीले के सदस्यों में बाह्य प्रभावों से प्रतिरक्षा को जन्म देती है। कबीला अनुसूचित हो सकता है और नहीं भी। कबीले में पर-संस्कृति-धारण की प्रक्रिया या तो पूर्णरूपेण संपन्न हो चुकी होती है या आंशिक रूप में ही।

योजना का लक्ष्य भारत में जनजातियों तक न्याय की पहुँच को सुनिश्चित करना है। न्याय तक पहुँच की अपने तमाम अर्थो में अर्थात अधिकारों तक पहुँच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाएँ, इत्यादि को सुगम बनाता है ताकि संविधान के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक एवं न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थ पूर्ण रूप से अनुभव कर सके। जनजातियों को कई विधिक अधिकार दिए गए है -

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA)
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अधिनियम,1989
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
- पंचायत के प्रावधान अनुसूची क्षेत्रों में विस्तारद्ध अधिनियम, 1996 (PESA)
- भारतीय संविधान की पांचवी एवं छठी अनूसूची।

ये प्रावधान कठोरतापूर्वक लागू नहीं किये जाते, जिसके चलते उनके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ऐसे उल्लंघन जनजातियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इस योजना का आशय यह है कि इन विधिक अधिकारों का उल्लंघन नही हो।

परिचय

भारत में जनजातीय आबादी संख्यात्मक रूप से एक अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद समूहों की विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करती है।जबकि जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और इतिहास है, वे भारतीय समाज के अन्य वंचित वर्गों के साथ अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक वंचना और सांस्कृतिक भेदभाव जैसे विषयों में समानताएँ रखते हैं।'जनजाति' का श्रेणीकरण सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम को दर्शाता है, लेकिन 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में श्रेणीकरण के राजनीतिक-प्रशासनिक निहितार्थ भी हैं।अनुसूचित जनजाति की अधिकांश आबादी पूर्वी, मध्य और पश्चिमी पट्टी में संकेंद्रित है, जो नौ राज्यों - ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत हैं।उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लगभग 12 प्रतिशत, दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 5 प्रतिशत और उत्तरी राज्यों में लगभग 3 प्रतिशत जनजातीय आबादी निवास करती है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

जनजातीय कार्य विभाग, प्रदेश सरकार का एक प्रमुख विभाग है, जिसे जनजाति वर्गों के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग जहां एक ओर अपने स्तर पर शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ अनुपूरक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम तथा विशेष घटक योजना के संबंध में नोडल विभाग के नाते विभिन्न विकास विभागों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाते हुए योजनाओं के बजट प्रावधान एवं अनुश्रवण का कार्य भी कर रहा है।[1]

झारखंड में 30 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं। उनकी कुल आबादी 7087068 (2001 की जनगणना के अनुसार) है। करीब 92 प्रतिशत (6500014)जनजातीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सिर्फ 8 प्रतिशत (587054) आबादी शहरों में रहती है।

अनुसूचित जनजातियों को दो श्रेणियों में रखा गया है। 'जनजाति' और 'आदिम जनजाति।' झारखंड में 21 जनजातियां प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती हैं। वे हैं – 1.संताल 2.उरांव 3.मुंडा 4.हो 5.खरवार 6.भूमिज 7.खड़िया 8.गोंड 9. महली 10.बेदिया 11.चेरो 12.चिक-बड़ाइक 13.किसान 14.बिंझिया 15.गोराइत 16.करमाली 17.बैगा 18.खांड़ 19.बथुड़ी 20.बंजारा और 21.लोहरा।

बाकी 9 जनजातियां यानी बिरहोर, कोरबा, असुर, परहइया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरा और सावर को आदिम जाति की श्रेणी में रखा जाता है। आदिम जातियां अल्पसंख्यक हैं। उनकी अर्थ व्यवस्था कमोबेश आज भी प्राथमिक स्तर की है। वे आज भी जंगल में शिकार करने और जंगल से ही भोजन जुटाने के आदिम संस्कारों से लैस हैं। हालांकि अब उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं रहा। उनमें भी अब आजीविका के लिए एक जगह स्थायी तौर पर टिकने की समझ पैदा हो रही है।

भाषा की दृष्टि से जनजातियों के दो समूह हैं। ग्रियर्सन ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को आस्ट्रिक (मुंडा) और द्रविड़ियन समूह में बांटा है। अधिसंख्य जनजातीय भाषाएं आस्ट्रिक समूह में आती हैं। सिर्फ उरांव जनजाति की 'कुरुख' भाषा और सौरिया पहाड़िया की 'माल्टो' भाषा द्रविड़ समूह की मानी जाती हैं। शरतचंद्र राय के अनुसार छोटानागपुर में बसी सभी आस्ट्रिक भाषाई समूह की जनजातियों का भारत के उत्तरी भाग से ऐतिहासिक संबंध है। द्रविड़ भाषायी समूह के माने जाने वाले उरांव और सौरिया पहाड़िया लोगों के बारे में अनुमान है कि वे सबसे पहले दक्षिण से चले थे। संभवत: नर्मदा के क्षेत्र से। वे पहले रोहतास में और बाद में छोटानागपुर और संतालपरगना में बसे।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

प्रजातीय अध्ययन के अनुसार झारखंड क्षेत्र की जनजातियां 'प्रोटो आस्ट्रोलायड' प्रजाति मानी जाती हैं। यहां की लगभग सभी जनजातियों में नाटा कद, दीर्घ कपाल, फैली चिपटी नाक और काला चमड़ा सामान्य शारीरिक लक्षण हैं। प्रजातीय अध्ययन के अनुसार कपाल, मुख की आकृति, बाल और चमड़े के रंग आदि में झारखंड की जनजाति, श्रीलंका की वेड्डा जनजाति और आस्ट्रेलिया के मूल निवासी काफी हद तक मिलते-जुलते हैं।

सामाजिक जीवन

आज झारखंड के जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक हैं। यूं अब यह विषय किसी साक्ष्य का मोहताज नहीं कि जनजातीय परिवार पहले मातृसत्तात्मक हुआ करते थे। लेकिन यह खोज का विषय है कि ये कब से पितृसत्तात्मक होते गये। वैसे, आज भी इस बात के संकेत मिलते हैं कि कई जनजातियों में पितृसत्तात्मकता का विकास तब से शुरू हुआ, जब से उनके जीवन के धारण-संचालन-नियंत्रण का 'प्रकृति' से सीधा संबंध कमजोर व असंतुलित होने लगा।

प्रत्येक जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है। इसे टोटम कहा जाता है। यह सामान्यत: पशु-पक्षी या पौधे के नाम पर होता है। प्रत्येक जनजाति गोत्र के बाहर ही विवाह करती है। गोत्र के अंदर विवाह करना जनजातीय समाज में अपराध माना जाता है। हालांकि जनजातियां अपनी जनजाति के अंदर ही विवाह करती हैं। संतान पिता का गोत्र पाती है, मां का नहीं। शादी होने के बाद लड़की पति का गोत्र अपनाती है। जनजातियों में अधिसंख्य परिवार एकाकी होते हैं। परिवार में माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। कुछ जनजातियों में संयुक्त परिवार होते हैं लेकिन उनमें भी ज्यादा से ज्यादा दो पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं।

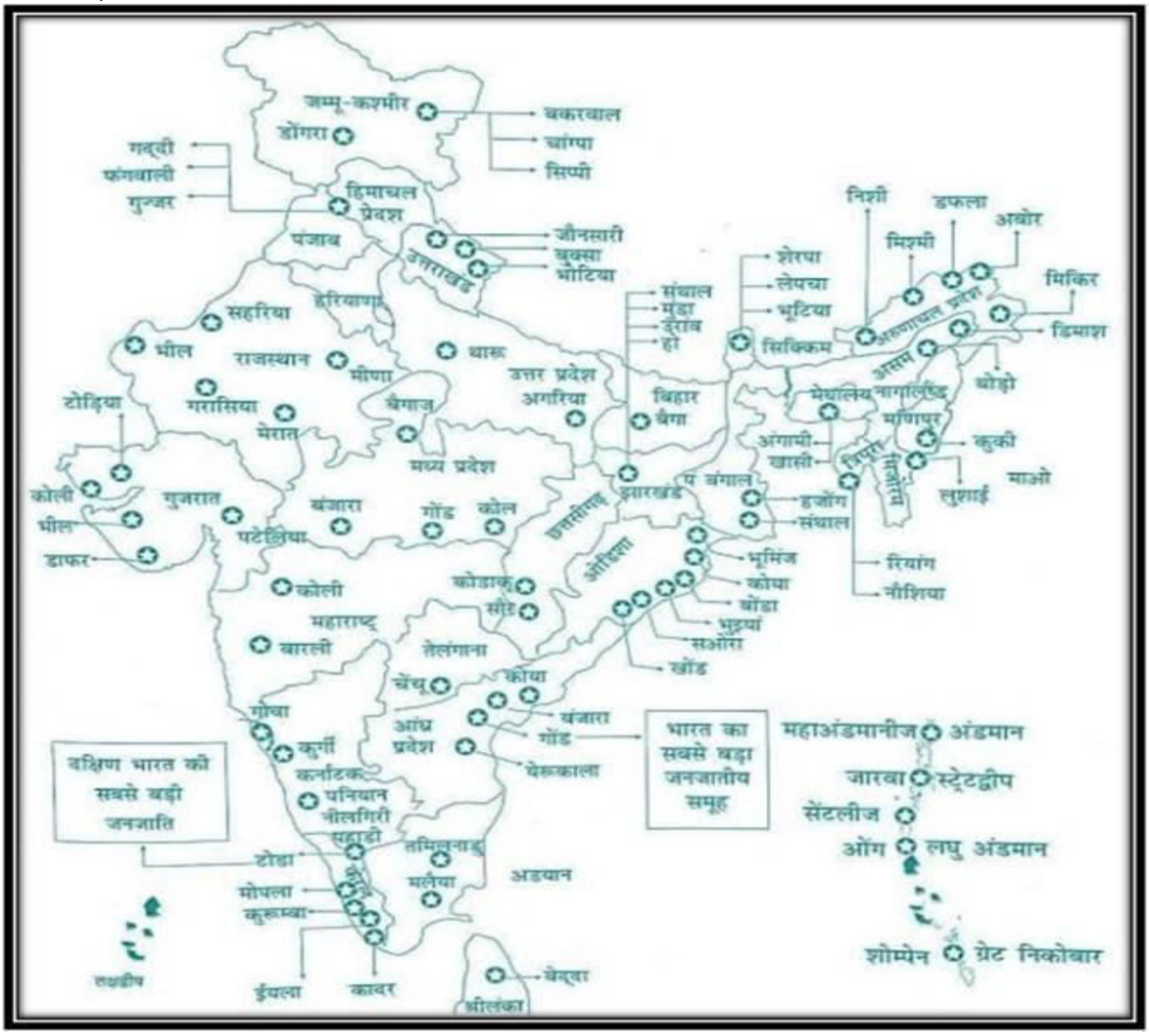

 DOI:10.15680/IJIRSET.2020.0912105

गोत्र : सौरिया को छोड़ कर अन्य सभी 29 जनजातियां कई गोत्रों में विभक्त हैं। संतालों में कुल 12 गोत्र पाये जाते हैं –[2] हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मरांडी, सोरेन, टुडु, बासके, बेसरा, पौड़िया, चोंडे और बेदिया। हालांकि मूल गोत्र प्रथम सात ही माने जाते हैं लेकिन सामाजिक दृष्टि से सब समान हैं।

उरांव में भी करीब 14 प्रमुख गोत्र पाये जाते हैं– लकड़ा, रफंडा, गारी, बांडी, किसपोट्टा, तिर्की, टोप्पो, एक्का, खलखो, लिंडा, मिंज, कुजूर, बेक और केरकेट्टा।

मुंडा जनजाति में गोत्र विभाजन से मोटे तौर पर दो समूह बने हैं। एक को 'महली मुंडाको' कहा जाता है और दूसरे को 'कोमपाट मुंडाको।' महली मुडाकों मुख्यतः तमाड़ इलाके में बसे हैं, जो 'पातर' नाम से जाने जाते हैं।

खड़िया जनजाति के तीन सामाजिक वर्ग हैं – पहाड़ी खड़िया, दुध खड़िया और ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया के दस प्रमुख गोत्र हैं – कुलसी, खेलुआ, कुजूर, अंगारिया, भुइयां, गुलु, जारू, बध, तेसा, हेम्बरम आदि। ढेलकी खड़िया के आठ गोत्रा पाये जाते हैं – मुरू, सोरों, समद या बागे, हंसदा या दमदम, बारलीहा, जारहाद, टोप्नो और भाई। दुध खड़िया में नौ प्रकार के गोत्र पाये जाते हैं– दुमदुम, टोप्पो, सोरेन, केरकेट्टा, कुलु, बिलुंग, बास, टेरू और कीर।

बिरहोर में उथलू और जांधी दो तरह के समुदाय पाये जाते हैं। जो बिरहोर जंगल-जंगल घूमते हैं, यायावर जिंदगी जीते हैं, वे उथलू या फिरंता कहलाते हैं। जो बिरहोर जंगल-जंगल भटकना छोड़कर कहीं गांव बना कर स्थायी रूप से बस गये हैं, उन्हें जांधी या पनीया कहा जाता है। बिरहोर के 23-24 गोत्र पाये गये हैं – टोपवार, इंदुआर, वसवार, थनवार, केरकेट्टा, हेम्ब्रम, कछुआ, खेर, लकुरचट्टा, मछली, बराह, कौआ, गिद्ध भुइया, गेरुआ, गुंडरी, तिरीवर, केंदुआ, लुडीजाल, सिगपुरिया, तोरियार, महली, सुइया, भुरुम आदि।

जनजातीय समाज में गोत्र महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन है। इसके जरिये कई आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणालियों व कार्यों का संचालन व नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक गोत्र अपने दायरे में आने वाले समुदायों और परिवारों के सदस्यों के लिए नियम बनाता है और उनके पालन की सीख देता है। नियमों की अवहेलना करने पर किसी सदस्य को गोत्र के बाहर भी किया जा सकता है। इस डर से लोग गोत्र के नियमों की अवहेलना नहीं करते।

एक गोत्र के सभी सदस्य अपने को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। इस वजह से वे एक दूसरे को भाई-बहन मानते हैं। अपने गोत्र के सदस्यों से शादी करना वर्जित मानते हैं। गोत्र एक सामाजिक संस्था के रूप में अपने सदस्यों को विवाह संबंधी नियम के तहत आचरण करने और गोत्र से बाहर शादी करने के प्रति जागरूक रखता है।

जनजातीय जीवन में गोत्र सामाजिक संबंधों में आपसी सहायता और सुरक्षा के मजबूत धागों का सृजन करता है। यहां तक कि झारखंड के अनेक क्षेत्रों में आज भी यह दृश्य देखने को मिलता है कि किसी घर के एक सदस्य के बीमार पड़ते ही उसके गोत्र का पूरा गांव इलाज के लिए उमड़ पड़ता है। शादी-ब्याह से लेकर दुर्घटनाओं व मुसीबतों तक में गोत्र के नाम पर लोग एक दूसरे की अनायास मदद करने को प्रेरित होते हैं।[3]

जनजातियों में स्थानीय प्रशासन के लिए गठित परिषद, पंचायत आदि में मुखिया, सरदार या राजा का पद एक निश्चित गोत्र का सदस्य ही संभालता है। प्रशासन सम्बंधी अन्य कार्य भी गोत्र नामों के अनुसार चुने गये व्यक्ति ही करते हैं। जनजातीय समाजों में गोत्र ही लोगों को नैतिक और धार्मिक बंधनों में बांधता है। लोगों में सामूहिकता का ऐसा संस्कार भरता है कि परस्पर की सहायता और सुरक्षा के लिए एक गोत्र के लोग किसी भी वक्त और किसी भी कीमत पर कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि गोत्र सिर्फ सामाजिक सम्पत्ति नहीं बल्कि व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है।

विवाह : झारखंड की जनजातियां अमूमन अपनी-अपनी जातीय सीमाओं के अंदर ही विवाह करती हैं। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है। जनजातियों में आम तौर पर बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। प्रायः परिवार एक विवाही होते हैं। लेकिन कोल्हान क्षेत्र में एक पति और दो या दो से अधिक पत्नियों के कई किस्से मशहूर हैं। यह वहां आम है कि एक पति की दो या दो से अधिक पत्नियां एक ही घर में रहती हैं। वर्षों साथ रहने का यह दृश्य एहसास जगाता है कि वे प्रेमपूर्वक रह रहे हैं। वैसे, झारखंड की कई जनजातियों में देवर विवाह और साली विवाह का प्रचलन है। प्राय: मृत बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती है। इसी प्रकार पत्नी के मरने या कभी-कभी पहले ही उसका पति उसकी छोटी बहन से विवाह करता है। विधवा या विधुर दोबारा शादी के लिए स्वतंत्र हैं। अक्सर विधवा किसी विधुर के साथ ही वैवाहिक बंधन में बांधती है। तलाक देने का अधिकार पति और पत्नी दोनों को होता है। विधवा विवाह और तलाक के बाद दोबारा शादी करने में दान-दहेज नहीं चलता।

झारखंड में क्रय विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह और पलायन विवाह जैसे कई तरीके चलते हैं। क्रय विवाह में वधू पाने के लिए वधू के माता-पिता या रिश्तेदारों को कुछ धन देना पड़ता है। उसे कन्या शुल्क कहते हैं। सेवा विवाह में होता यह है कि कन्या शुल्क न दे पाने की स्थिति में वर अपने होने वाले सास-ससुर की सेवा करता है और बदले में उनकी बेटी से शादी का अधिकार पाता है। हरण विवाह में लड़की का अपहरण कर शादी की जाती है। हठ विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर जबर्दस्ती आकर रहने लगती है। तमाम

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

अपमान के बावजूद वह अपने प्रेमी को ही पति बनाने लिए ऐसा करती है। सहपलायन तो प्रेम विवाह है। उसमें प्रेम पाश में बंधे युवक-युवती तब भागते हैं, जब उनके माता-पिता उन्हें शादी करने नहीं देते। विनिमय विवाह गुल्टा विवाह है। उसमें एक भाई अपनी बहन की शादी दूसरे परिवार के जिस लड़के से करता है, उसी की बहन से खुद शादी करता है।

संतालों में क्रय विवाह को 'सादाई बापला' कहते हैं। इस तरह के विवाह में घर देखी, तिलक चढ़ी और 'टका चाल' की रस्में होती हैं। टका चाल की रस्म में वधू के पिता को 'पोन' शुल्क दिया जाता है। सेवा विवाह में संतालों में वधू के लिए पोन नहीं देना पड़ता लेकिन वर को कम से कम पांच साल ससुराल में रहना पड़ता है। सेवा विवाह को संताली घरदी जावांय बापला कहते हैं और विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला। इसमें पोन का लेन-देन नहीं होता।

मुंडा जनजाति में क्रय शादी में दिये जाने वाले कन्या शुल्क को 'कुरी गोनोंग' कहा जाता है। मुंडा जनजाति में सेवा विवाह, हरण विवाह और हठ विवाह सहित पलायन विवाह के भी कुछ-कुछ उदाहरण मिलते हैं। पलायन विवाह को मुंडा जनजाति में राजी-खुशी विवाह कहा जाता है।

हो जनजाति में क्रय विवाह को 'अंदी' कहा जाता है। हो जाति में कन्या मूल्य अक्सर काफी अधिक रखा जाता है। हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। इस जनजाति में राजी-खुशी विवाह भी होते है।[4]

बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला कहा जाता है। विवाह की यह प्रथा बिरहोर में ज्यादा प्रचलित है। इस जनजाति के लोग सेवा विवाह को कीरींग जमाई बापला कहते हैं। इसमें हरण विवाह भी चलता है। उसे उडरा-उडरी बापला कहते हैं। हठ विवाह को बोला बापला कहा जाता है। उसमें युवती शादी के लिए उस युवक के घर में चली जाती है, जिसको वह प्रेम करती है। यदि युवक प्रेमी है और विवाह के लिए युवती को घर में आने को प्रेरित करता है तो उसे सीमन्दर बापला कहा जाता है। बिरहोर में प्रेम विवाह भी चलता है। इस जनजाति में विनिमय विवाह को गोलहर बापला कहा जाता है।

जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर खरवार समाज का क्रमिक अनशन

खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को असली विवाह कहा जाता है। उसे युवक-युवती के माता-पिता द्वारा निश्चित किया जाता है। इस जनजाति में हरण विवाह की प्रथा लगभग खत्म है। हठ विवाह और पलायन विवाह भी अब प्रचलन में नहीं दिखते।

सौरिया पहाड़िया में ज्यादातर हरण विवाह होते हैं।

तलाक : जनजातियों में भी विवाह टूटते हैं। उनमें तलाक देने का अधिकार पति और पत्नी दोनों को होता है। मुंडा जनजाति में तलाक को 'सकनाचारी' कहते हैं। तलाक के बाद औरत और मर्द दोनों पुनः शादी करने को स्वतंत्र हैं। ऐसे विवाह को सगाई कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में लड़की तलाक देती है तो लड़के को उसका कन्या मूल्य वापस मिल जाता है। लड़का तलाक देता है तो उसे कन्या मूल्य की राशि नहीं मिलती।

जनजातीय विवाह प्रथाओं में 'टुडकी दिपिल बापला' जैसी प्रथा भी है। उसमें वर पक्ष कन्या को अपने घर लाकर शादी करता है।

हो जनजाति में पुरुष के अपने से बड़ी उम्र वाली स्त्री से शादी करने का प्रचलन भी है। बच्चे भी प्रायः ससुर के परिवार या कीली में ब्याहे जाते हैं। कहीं-कहीं मां की बहन और विधवा मौसी से शादी करने का रिवाज भी है। हालांकि हो जनजाति में पिता की बहन या अपनी बहन की लड़की से विवाह करने का रिवाज कम है। खड़िया जनजाति में फुफेरे अथवा चचेरे भाई-बहन से शादी करने का रिवाज चलता है। हालांकि उसमें न कोई युवक अपनी पत्नी की बड़ी बहन से शादी कर सकता है और न कोई विधवा अपने पति के बड़े भाई से शादी कर

सकती है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्रा की अवधारणा नहीं है। लेकिन शादी में गोतिया और रिश्तेदारी पर विचार होता है। इस जनजाति में देवर-भाभी के बीच पुनर्विवाह होता है और छोटी सालियों से विवाह भी स्वीकृत है लेकिन पत्नी की बड़ी बहन या छोटे भाई की पत्नी से विवाह वर्जित है। चचेरे, फुफेरे या ममेरे भाई-बहनों में भी विवाह नहीं होता।

बिरहोर जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन नहीं है लेकिन उस पर प्रतिबंध भी नहीं है। ऐसे विवाह को 'हेसम बापला' कहा जाता है।

सभी जनजातियों के लड़कों की शादी की उम्र 20 से 24 साल होती है। लड़कियों की शादी 15 से 20 के बीच होती है।

परिवार : झारखंड की जनजातियों के परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। संतालों में संतानें पिता का गोत्र पाती हैं। माता-पिता की सम्पत्ति पर पहला अधिकार पुत्रों का होता है। उसमें अविवाहित बेटियों के लिए सम्पत्ति में हिस्सा का प्रावधान है। उरांव जनजाति में परिवार के धन पर सिर्फ पुरुष का अधिकार होता है। स्त्री का अधिकार नहीं होता। हो जनजाति में कीली के आधार पर परिवार बनते हैं। कीली एक सामाजिक और राजनीतिक इकाई होती है। सौरिया पहाड़िया में संयुक्त परिवार अब नहीं के बराबर हैं। उनमें सम्पत्ति पर सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता है। बिरहोर जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति बेटों में बंटती है लेकिन सबसे बड़े बेटे को कुछ बड़ा हिस्सा मिलता है। बेटा न होने पर परिवार के साथ रहनेवाले घर जमाई को पूरी सम्पत्ति मिलती है।[5]

सामाजिक निषेध : झारखंड की जनजातियों में कई प्रकार की निषेधाज्ञाएं प्रचलन में हैं। जनजातियां गोत्र चिन्हों को पूज्य मानती हैं। गोत्रों का नामकरण प्रायः पशु-पक्षी और पेड़-पौधें के नाम पर होता है। इसलिए उनकी हत्या करने या कष्ट पहुंचाने या काटने पर पाबंदी होती है। उरांव में लकड़ा (शेर), तिर्की (बड़ा चूहा), कच्छप (कछुआ), खाका (कौआ), तिग्गा (बंदर), कुजूर (लता), आदि और संतालों में हंसदा (हंस), मुर्मू (नील गाय), हेम्ब्रम (सुपारी), बेसरा (बाज), पौड़िया (कबूतर), चोंड़े (छिपकिली) आदि गोत्र के नाम हैं और उनके प्रतीक चिन्हों से छेड़छाड़ या उनको नुकसान पहुंचाना सर्वथा गलत माना जाता है। कई जनजातियों में उन प्रतीक चिन्हों से जुड़ी निषेधज्ञाएं अलिखित कानून हैं। आम धारणा यह है कि उनके उल्लंघन से अलौकिक शक्तियां नाराज हो जायेंगी और पूरे समुदाय को उनके प्रकोप का शिकार होना पड़ेगा।

समगोत्रीय विवाह और यौन संबंधों पर सख्त पाबंदी है। अपनी जनजाति से बाहर शादी करना भी हेय माना जाता है। शहरीकरण, उद्योगीकरण, संस्कृतीकरण और ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार की वजह से अन्तर्जनजातीय और गैरजनजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ा है लेकिन आज भी संतालपरगना के कई इलाकों में ऐसी शादियों में बंधने वाले युवक-युवतियों और परिवारों को सजा देने के लिए 'बिठलाहा' प्रथा चलती है। उस प्रथा में अब ऐसे जोड़ों और उनके परिवारों को समाज से बाहर करने के साथ-साथ उनके घरों को लूटने और हत्या करने तक की क्रूरताएं शामिल हो चुकी हैं।

हो जनजाति में औरतें न हल छूती हैं और न हल चलाती हैं। संताली औरतों के लिए मांझीथान में प्रवेश निषिद्ध है। मुंडा जनजाति में औरतें न धन बो सकती हैं और न छप्पर छा सकती हैं। इस जनजाति में विवाहित बहन को सरहुल पूजा का प्रसाद नहीं दिया जाता क्योंकि शादी के बाद उसका गोत्र बदल जाता है। मुंडा जनजाति में औरतें दाह संस्कार के वक्त श्मशान नहीं जा सकतीं। रजस्वला औरतों पर पूजा स्थल और रसोई घर में जाने पर भी पाबंदी होती है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

धार्मिक जीवन : झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार है- 'प्रकृति।' इसलिए इनके सामान्य जीवन में 'मारांगबुरू' और 'सिंगबोंगा' की प्रतिष्ठा है। मारांगबुरू का अर्थ है 'विशाल पहाड़' और सिंगबोंगा का अर्थ है 'सूरज'। इनके अनुसार सिंगबोंगा वह शक्ति है, जो जग के कण-कण में व्याप्त है। उसका कोई रूप या रंग नहीं होता। संताल, मुंडा, हो, बिरहोर आदि जनजातियों में आदि शक्ति एवं सर्वशक्तिमान देव को 'सिंगबोंगा' कहा जाता है। वही सृष्टिकर्त्ता है, वही पालनकर्त्ता है और कल्याणकारी है। माल पहाड़िया, उरांव और खड़िया जनजाति के लोग उसे ही धर्म, गिरींग आदि नामों से पुकारते हैं।

आदिवासियों के अन्य प्रमुख देवताओं में ग्राम देवता भी शामिल है। उसे हातु बोंगा, देसाउली बोंगा, चांडी बोंगा आदि कई नामों से पुकारा जाता है। ग्राम देवता के साथ जुड़ी मान्यता यह है कि वह गांव की रक्षा करता है। शिकार हो या खेती, उसमें सफलता के लिए ग्राम देवता की कृपा जरूरी है। जनजातियों का एक और प्रमुख देवता है- गृह देवता। उसे मुंडा, हो आदि 'ओड़ा बोंगा' कहते हैं। माना जाता है कि पूर्वज मृत्यु के बाद घरों में निराकार होकर गृह देवता के रूप में वास करते हैं।

आदिवासियों के अधिसंख्य देवता प्रकृति प्रदत्त जंगल-पहाड़ आदि होते हैं। उनको बुरू बोंगा, इकीर बोंगा आदि नामों से जाना जाता है। गांव के बाहर 'सरना' नामक स्थान होता है। माना जाता है कि वह देवताओं का निवास स्थान है। वहीं पूजा होती है और बलिदी जाती है। उसके लिए हर गांव में एक पाहन होता है। पाहन की नियुक्ति वंश परम्परा के अनुसार होती है। कहीं-कहीं पाहन के लिए चुनाव भी होता है।[4]

विचार – विमर्श

उत्तराखण्ड में निवासरत् भोटिया, थारू, जौनसारी,बुक्शा एंव राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। उक्त पा ॅच जनजातियों मे बुक्सा एवं राजी जनजाति आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा काफी निर्धन एवं पिछड़ी होने के कारण उन्हें आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है।
जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

प्रदेश की कुल जनसंख्या	1,00,86,292
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2,91,903
बी.पी.एल. परिवारो के अनुसूचित जनजतियों की जनसंख्या	26,295

साक्षरता का दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

सामान्य			अनुसूचित जनजाति में		
पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
87.4	70.0	78.8	83.6	63.9	73.9

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपदवार निवासरत् अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या निम्न प्रकार है-

क्र.स.	जनपद का नाम	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का विवरण				
			राजी	थारू	भोटिया	बुक्सा	जौनसारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रूद्रप्रयाग	186	0	0	186	0	0
2	टिहरी गढवाल	691	0	0	0	0	691
3	चम्पावत	742	126	0	616	0	0
4	अल्मोड़ा	878	0	0	878	0	0
5	पौडी गढवाल	1500	0	0	0	1500	0
6	बागेश्वर	1943	0	0	1943	0	0
7	उत्तरकाशी	2685	0	0	2685	0	0
8	हरिद्वार	2884	0	0	0	2884	0
9	नैनीताल	4981	0	0	2037	2944	0
10	चमोली	10484	0	0	10484	0	0

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|
|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

11	पिथौरागढ	19279	556	0	18723	0	0
12	देहरादून	99702	0	0	2855	22508	74339
13	ऊधमसिहनगर	110174	0	82790	0	27384	0
कुल जनसंख्या		256129	682	82790	40407	57220	75030

राज्य सरकार की प्रतिबद्वताओं के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गयी है, इन वर्गो के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे इनका सर्वागीण विकास हो सकें। इस वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक, सामाजिक एंव आर्थिक स्तर पर उन्हें सहयोग कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है।[3]

योजना का नाम

1. छात्रवृत्ति योजना

अ. पूर्वदशम कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) एवं आई.टी.आई. छात्रवृत्ति-

योजना का उद्देश्य

उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जा रही है। शिक्षा के प्रति प्रेरित करने एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा उन्हें प्राईमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

क. छात्रवृत्ति की दरें-

क्र.स.	अध्ययन पाठ्यक्रम	दरें प्रति छात्र/छात्रा
1	कक्षा 1 से 5	रू0-50/- प्रतिमाह
2	कक्षा 6 से 8	रू0-80/- प्रतिमाह

लाभाविन्त हेतु पात्रता

आय सीमा:

प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के सभी जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । अशासकीय विद्यालयो में अध्ययनरत् जनजाति छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय रू. 5000/- से अधिक नही होनी चाहिए।

ख- कक्षा 9 एंव 10 हेतु छात्रवृत्तिः-

जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 द्वारा कक्षा 09 व 10 के जनजातीय छात्र/छात्राओं हेतु जिनके परिवार की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, छात्रावासी (Hostellers) हेतु छात्रवृत्ति रू0 350.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए एवं पुस्तकीय व अनावर्ती सहायता रू0 1000.00 प्रतिवर्ष तथा बिना छात्रावासी (Day Hostellers) हेतु छात्रवृत्ति रू0 150.00 प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिए और पुस्तकीय व अनावर्ती सहायता रू0 750.00 प्रतिवर्ष की दर से वहन किए जाने की दिनांक 01.7.2012 से योजना प्रारम्भ की गई है।

ब. दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति:

उत्तराखण्ड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के उन समस्त छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नही है, यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, प्रदेश के उन छात्र/छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो प्रदेश से बाहर विभिन्न कालेजों में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (जनजाति वर्ग) की दरें निम्न प्रकार हैं:-
(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	अध्ययन पाठ्यक्रम	छात्रावासी छात्रों हेतु (प्रतिमाह)	बिना छात्रावासी छात्रों हेतु (प्रतिमाह)
1	समूह-1 (i) स्नातक व परास्नातक कार्यक्रम जिनमें एम. फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सम्मिलित है, इनके अन्तर्गत चिकित्सा औषधि विज्ञान (एलोपेथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाईन, फैशन टैक्नोलोजी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं अन्य सम्बद्ध पाठ्यक्रम, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्तीय प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग सम्मिलित है। (ii) वाणिज्यिक पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा मल्टी इंजन रेटिग पाठ्यक्रम) (iii) प्रबन्ध व चिकित्सा की विविध शाखाओं में परास्नातकीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई.सी.एफ.ए. आदि (v) एम.फिल.,पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल कार्यक्रम (डी.लिट.,डी.एससी. आदि)- (a) समूह-II में सम्मिलित कार्यक्रम [2] (b) समूह-III में सम्मिलित कार्यक्रम (vi) एल.एल.एम.	1200.00	550.00
2	समूह-2 (i) स्नातक/परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्मेसी (बी.फार्मा.), नर्सिग (बी-नर्सिग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरामेडिकल शाखा जैसे- रिहैबिलिटेशन, डाइगनोस्टिक्स आदि,मास कम्यूनिकेशन,होटल मैनेजमैन्ट व केटरिंग, ट्रैवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमैन्ट, इन्टिरियर डैकोरेशन, न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स, कॅामर्शियल आर्ट, फाईनेन्शियल सर्विसेज (बैकिंग, बीमा, टैक्शेसन आदि) जिनके लिए प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षाणिक अर्हता कम से कम इण्टरमीडिएट होनी चाहिए। (ii) समूह-I के अन्तर्गत न आने वाले परास्नातक पाठ्यक्रम जैस एम.ए., एम.एस. सी., एम.कॉम, एम.एड., एम.फार्मा आदि।	820.00	530.00
3	समूह-3 समूह-1 व 2 के अन्तर्गत न आने वाले अन्य सभी स्नातकीय पाठ्यक्रम/कार्यक्रम जैसे-बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम आदि	570.00	300.00
4	समूह-4 पोस्ट मैट्रिकुलेशन श्रेणी के सभी पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश हेतु अर्हता हाईस्कूल (कक्षा-10) हो। उदाहरणार्थ सीनियर सैकण्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा-11 व 12), आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, 3 वर्ष हेतु पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम आदि	380.00	230.00

(2) राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों का संचालन:
योजना का उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओ के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु विभाग द्वारा वर्तमान मे 16 राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों का निम्न प्रकार संचालन किया जा रहा है, जिनमें बालिकाओं हेतु 4 हाईस्कूल स्तर तक 1 जूनियर हाईस्कूल है, इसी प्रकार बालकों हेतु 8 हाईस्कूल स्तर तक तथा 1 जूनियर हाईस्कूल स्तर तथा 2 प्राईमरी स्तर के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है । उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त जो विद्यालय किराए में चल रहे थे के भवनो ंका निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा पुराने भवनों का जीर्णोद्वार किया गया, राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों में प्रारम्भिक कक्षा से अन्तिम कक्षा तक निःशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी तथा दवाई आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, प्रदेश में सचालित विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है।[1]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

क्र.स.	संस्था का नाम	छात्र क्षमता	भवन की स्थिति
1	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय जोशीमठ चमोली कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
2	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय लागापोखरी देहरादून कक्षा 1 से 10 तक	300	विभागीय भवन
3	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
4	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय त्यूणी देहरादून कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
5	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय लाखामण्डल देहरादून कक्षा 6 से 10 तक	185	विभागीय भवन
6	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय विन्सौण चकराता देहरादून कक्षा 1से 5 तक	175	निर्माणधीन/किराए के भवन में संचालित
7	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय लालढांग हरिद्वार कक्षा 6 से 8 तक	105	विभागीय भवन
8	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय लालढांग हरिद्वार कक्षा 1 से 5 तक	150	विभागीय भवन
9	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय गोठी हाल बलुवाकोट पिथौरागढ कक्षा 1 से 10 तक	310	रा0 आ0 प0 विद्यालय (बालक) बलुवाकोट के भवन में संचालित है
10	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय मुनस्यारी पिथौरागढ कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
11	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय बलुवाकोट पिथौरागढ कक्षा 1से 10 तक	245	विभागीय भवन
12	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय खटीमा उधमसिहनगर कक्षा 1 से 10 तक	245	विभागीय भवन
13	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय खटीमा उधमसिहनगर कक्षा 6 से 8 तक	105	विभागीय भवन
14	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय गदरपुर उधमसिहनगर कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
15	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय गूलरभोज उधमसिहनगर कक्षा 6 से 10 तक	185	विभागीय भवन
16	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय विडौरा उधमसिहनगर कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
	कुल	3055	

3 राजकीय जनजाति छात्रावास :

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु वर्तमान में चार छात्रावास क्रमशः धारचूला (पिथौरागढ) गोपेश्वर (चमोली) काशीपुर एवं खटीमा (उधमसिहनगर) में संचालित है। अनुसूचित जनजाति के दुरस्थ स्थानों से ब्लाक/जनपद मुख्यालयों पर अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रवेश दिए जाता है एवं छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ-साथ भोजन सुविधा भी प्रदान की जाती है। प्रति छात्रावास छात्र क्षमता 50 स्वीकृत है।[5]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

क्र.स.	संस्था का नाम	छात्र क्षमता	भवन की स्थिति
1	राजकीय जनजाति छात्रावास गोपेश्वर चमोली	50	विभागीय भवन
2	राजकीय जनजाति छात्रावास धारचूला पिथौरागढ	50	विभागीय भवन
3	राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर उधमसिहनगर	50	विभागीय भवन
4	राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा उधमसिहनगर	50	विभागीय भवन

4. आई.टी.आई. का संचालन:

अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जनपद ऊधमसिहनगर के खटीमा एवं गूलरभोज में 2 तथा जनपद देहरादून के चकराता में 01 कुल 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, इन संस्थानों में हिन्दी आशुलिपि, कम्प्यूटर व्यवसाय (कोपा), वैल्डर, इलैक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सुईग तथा कंटिग तथा फिटर व्यवसाय में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है तथा इन संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ भोजन, आवासीय सुविधा, वस्त्र एवं स्टेशनरी प्रदान की जाती है, तीनों संस्थान शासकीय भवनों में सचालित है। संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण निम्नवत् है।

क्र.स.	संस्था का नाम	छात्र क्षमता
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकराता जनपद देहरादून	60
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गूलरभोज जनपद ऊधमसिहनगर	126
3	राजकीय प्रशिक्षण संस्थान खटीमा जनपद ऊधमसिहनगर	194

5 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता :

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

6. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन :

प्रदेश में कालसी-देहरादून में एकलव्य आवासीय विद्यालय के भवन के निर्माण की कार्यवाही कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 देहरादून द्वारा की जा रही है। उक्त विद्यालय कक्षा 06 से 12 तक संचालित होगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 तक रू0 250.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू0 220.00 लाख की धनराशि राज्य सैक्टर के कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई गयी है तथा वर्ष 2010-11 से विद्यालय में कक्षा 06 प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक संचालित है। जिसमें कुल 300 विद्यार्थी निवासरत्/शिक्षारत है।

7. आदिम जनजाति (बुक्शा एवं राजी) के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम:

वर्ष 1967 में भारत सरकार द्वारा 5 जनजातियां क्रमशः थारू, बुक्शा, भोटिया, राजी एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, उक्त पांचों जनजातियों में बुक्शा एवं राजी जनजाति अन्य जनजातियों से काफी पिछड़ी एवं निर्धन होने के कारण उन्हें आदिम समूह की में रखा गया है, बुक्शा जनजाति जो जनपद देहरादून के विकासनगर सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, जनपद पौड़ी गढवाल के विकासखण्ड दुग्गडा, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद, (लालढांग परिक्षेत्र) जनपद उधमसिहनगर के विकासखण्ड बाजपरु, गदरपुर, काशीपुर, जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर, राजी जनजाति जनपद पिथौरागढ के धारचूला, कनालीछीना, डीडीहाट एवं जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत में मुख्य रूप सें निवासरत है।[4]

उक्त दोनों जनजातियों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा शत् प्रतिशत अनुदान की योजना क्रियान्वयन की गई है, जिसमें राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर केंन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है।

8. जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना:

अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षिक विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाते है। जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कर धनराशि राज्य सरकार को आवंटित की जाती है।

9. प्रतियोगी परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों द्वारा प्रतिभागी को प्रशिक्षण:

उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के लिए राज्य में निजी कोचिंग सेन्टरों का चयन किया जाता है। चयनित कोचिंग केन्द्रो के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के युवको/युवतियों को रू 750.00 प्रतिमाह (स्थानीय) तथा रू 1500.00 प्रतिमाह (बाहरी) छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

11. अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी एंव बीमारी हेतु अनुदान योजना :

अनुसूचित जाति की भाॅति अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जिनकी आय सीमा रू. 15,000/- (रू. पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार रू. मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी। बीमारी के ईलाज हेतु अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा रू. 15,000/- वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 10,000/- तक (यथास्थिति बीमारी के स्वरूपानुसार) की धनराशि प्रदान की जाती है। आवेदकों को निम्न वरियतानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

1- अन्तोदय कार्ड धारक आवेदनकर्ता।

2- बी.पी.एल. विधवा आवेदनकर्ता।

3- बी.पी.एल. आवेदनकर्ता।[4]

बी.पी.एल. आवेदनकर्ता को बी.पी.एल. के साक्ष्य के रूप में बी.पी.एल. कार्ड अथवा बी.पी.एल. क्रमांक का विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा। इस संबंध में अन्य कोई साक्ष्य मान्य नहीं होंगे।

12. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हे दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें

ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए कार्यरत है उन्हे आवर्तक में अनुदान दिए जाने का प्राविधान है तथा ऐसे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं में जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

क्र.स.	सस्था का नाम	संस्था द्वारा संचालित प्राईमरी पाठशालाओं की सूची
1	भोटिया जनजाति सेवा गूलरभोज ऊधमसिंहनगर	1. जनजाति प्रा.पा.जगनपुरी, ऊधमसिहनगर 2. जनजाति प्रा.पा. भजपुरी, ऊधमसिहनगर 3. जनजाति प्रा.पा.भटभोजहीरा, ऊधमसिहनगर 4. जनजाति प्रा.पा. भूडियाखानपुर, ऊधमसिहनगर
2	सर्वेन्टस ऑफ सोसाइटी बाजपुर जनपद ऊधमसिहनगर	1. प्राथमिक पाठशाला अजीमुल्ला बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 2. प्राथमिक पाठशाला भूड़ी बन्नाखेड़ा बाजपुर, ऊधमसिहगनर। 3. प्राथमिक पाठशाला विजय रम्पुरा बाजपुर, ऊधमसिहगनर। 4. प्राथमिक पाठशाला दोपुलिया गदरपुर, ऊधमसिहनगर। 5. प्राथमिक पाठशाला मजरानसिह गदरपुर, ऊधमसिहनगर। 6. प्राथमिक पाठशाला मजराविधि गदरपुर, ऊधमसिहगनर। 7. प्राथमिक पाठशाला धूरिया बाजपरु, ऊधमसिहनगर। 8. प्राथमिक पाठशाला विडौरा सितरागंज, ऊधमसिहनगर। 9. प्राथमिक पाठशाला कोपा बसन्ता गूलरभोज, ऊधमसिहनगर। 10. प्राथमिक पाठशाला खटोला न0 2, ऊधमसिहनगर। 11. प्राथमिक पाठशाला रम्पुरा हरसार बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 12. प्राथमिक पाठशाला ठोठुपुरा बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 13.प्राथमिक पाठशाला ढांकी बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 14. प्राथमिक पाठशाला भटपुरी बाजपुर, ऊधमसिहनगर।
3	भोटिया जनजाति कल्याण शिक्षा समिति बलुवाकोट जनपद पिथौरागढ	1. प्राथमिक पाठशाला छारछुम पिथौरागढ। 2. प्राथमिक पाठशाला घाटीबगड पिथौरागढ। 3. प्राथमिक पाठशाला धूरा पिथौरागढ।
4	इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान रायवाला देहरादून	1. प्राथमिक पाठशाला बोक्सा बस्ता छिदरवाला, देहरादून। 2. प्राथमिक पाठशाला बोक्सा जनजाति रायवाला, देहरादून। 3. प्राथमिक पाठशाला बोक्सा बस्ती गढ़ीश्यामपुर, देहरादून।

13. अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

अनुसूचित जनजतियों के बाहुल्य ग्रामों में पेयजल व्यवस्था, मोटर मार्ग/झूला पुल/पुल/पुलिया, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, नाली एवं जल निकास व्यवस्था, शौचालय, सामुदायिक प्रयोग के भवनों का निर्माण, जैसे बारात घर/ सामुदायिक मिलन केन्द्र, विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं में अवशिष्ट कार्य (Critical gap) सिचाई व्यवस्था, क्रीड़ा स्थलो का विकास, सामाजिक वनीकरण, चारा व बायोफ्यूल के लिए सामुदायिक व्यवस्था, सार्वजनिक मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था आदि की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

14. गौरा देवी कन्याधन योजना

इस योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ''गौरा देवी कन्याधन योजना'' के रूप में रू. 50,000.00 की राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रदान की जाती है।[3]

पात्रता:-

1. योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे अनुसूचित जनजातियों एवं गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे समस्त परिवारों की ऐसी बालिकाऐं पात्र होगी, जिन्होने राज्य में स्थित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। योजना के अन्तर्गत संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोनो प्रकार की छात्राएं पात्र होंगी, परन्तु व्यक्तिगत छात्राओं के मामले में छात्रा अविवाहित होना चाहिए तथा उसकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
2. आय का प्रमाण-पत्र ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रजिस्टर के आधार पर बी.पी.एल. क्रमांक अंकित अथवा वार्षिक आय रू0 15976 के आय प्रमाण पत्र तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206 की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो के आधार पर मान्य होगा, संलग्न करना अनिवार्य है।
3. पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नही होंगी।
4. एक दम्पति की अधिकतम दो पुत्रियो को ही योजना से लाभान्वित किया जा सकेंगा।

परिणाम

भारतीय जनजातियों का आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने से सदैव कर्जदार की स्थिति बनी हुई है। वह इस कर्जदारी से इसलिए भी मुक्त नही हो पाते क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित अथवा उसने द्वारा इकट्ठा की गयी वन वस्तुओं का उसे उन्हें मूल्य नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए।

इस लेख में हम केवल जनजाति या अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। जनजातियों में अल्प विकास से जुड़ी बीमारियां कुपोषण, संक्रामक रोग, मातृ व बाल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बहुत ही अधिक पायी जाती है।

अंग्रेजों द्वारा भारत में एक समान राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे इनके परंपरागत अधिकार छिने गये और यह सिलसिला निरंतर जारी है। कभी विकास की गतिविधियों के कारण तो कभी संपर्क के कारण जनजातियों की समस्याएं बढ़ती गई।

भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई प्रावधान हैं। मुख्यतः इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है- सुरक्षा तथा विकास। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335 व 338, 339(1), 371(क) (ख) व (ग), पांचवी सूची व छठी सूची में निहित हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275(1) प्रथम उपबंध तथा 339 (2) में निहित हैं।

इस समय भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 700 से ऊपर है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के आधार हैं-

- आदिम लक्षण
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक पृथक्करण
- समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच
- पिछडापन।[2]

निष्कर्ष

- जनजाति तथा विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समाज के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना ।
- विशेष पिछडी जनजाति समूह का उत्थान कर उन्हें अन्य जनजाति वर्गो के समकक्ष लाना ।
- जनजाति वर्गों के शैक्षणिक उत्थान के लिए शिक्षा विषयक योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू करना |
- जनजाति की परम्परागत संस्कृति को पाठ्यक्रमों में स्थान देना जनजाति महिलाओं के लिए को-आपरेटिव सोसायटियों का गठन ।
- विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं के माध्यम से रोजगार के कौशल उन्नयन रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास के साधन उपलब्ध कराना।
- जनजाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाना ।
- जनजातीय क्षेत्रों के मानव विकास सूचकांकों को गैर जनजातीय क्षेत्रों के मानव विकास सूचकांकों के समकक्ष लाना ।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.512|

|| Volume 9, Issue 12, December 2020 ||

- विशेष पिछड़ी जनजातियों के मानव विकास सूचकांक को कम से कम अन्य जनजातियों के मानव विकास सूचकांक के समकक्ष लाना ।
- जनजाति वर्ग की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना ।[1]

संदर्भ

1) जोहार सहिया (आदिवासियों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका नागपुरी-सादरी भाषा में)
2) जोहार दिसुम खबर (12 आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित भारत का एकमात्र पाक्षिक अखबार)
3) झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति "अखड़ा (11 आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका)
4) आदिवासी समाज की सामाजिक वेबसाईट (आदिवासी समाज की सामाजिक वेबसाईट)
5) "संग्रहीत प्रति". मूल से 24 फ़रवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 फ़रवरी 2016.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor:
7.512

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

Scan to save the contact details